

11.05.17

वादी द्वारा पुकार लगाये जाने पर सांय 4:45 बजे तक कोई उपस्थित नहीं।

प्रतिवादीगण एकपक्षीय।

प्रकरण अस्थायी व्यादेश आवेदन पर तर्क हेतु नियत है परन्तु वादीगण अनुपस्थित हैं। अतः वादीगण की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप आदेश 17 नियम 3, 2 सी.पी.सी. के अधीन अग्रेषित होते हुए आदेश 9 नियम 3 सीपीसी में वाद निरस्त किया जाता है। वाद निरस्त होने के परिणामस्वरूप वादी का आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. भी निरस्त किया जाता है।

वादीगण अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोड़ी जावे।

व्यय तालिका बनायी जावे।

प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / -

गोपेश गर्ग

1-सी.जे.-2, गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रति-
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अनान्य)